संख्या-22/2019/क0नि0-4-851/11-2019-300(8)/2019

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 12 सितम्बर, 2019**

विषयः- वाणिज्य कर मुख्यालय भवन के बेसमेंट, भूतल, द्वितीय एवं तृतीय तल पर विट्रीफाइड टाइल्स लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-मुख्यालय-962 विट्रीफाइड टाइल्स/ का0भ0अनु0/2019-20/385/वाणिज्य कर दिनांक-21.08.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 24-वृहद निर्माण कार्य की मद में प्राविधानित धनराशि में से वाणिज्य कर मुख्यालय भवन के बेसमेंट, भूतल, द्वितीय एवं तृतीय तल पर विट्रीफाइड टाइल्स लगाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0), लखनऊ द्वारा आगणित धनराशि रु0-120.51 लाख (रुपया एक करोड़ बीस लाख इक्यावन हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं : -

(1) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण- 32-सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।

संख्या-22/2019/क0नि0-4-851(1)/11-2019, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. एडीश्नल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ। -------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।